

कार्यालय उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, होशंगाबाद

E-mail : pswhos@mp.nic.in

कार्यालय दूरभाष 07574-252283

क्रमांक/387/नि.क./2018/
प्रति,

होशंगाबाद दिनांक 15/02/2018

आयुक्त,
जनसंपर्क एवं सूचना प्रकाशन विभाग
विज्ञापन शाखा बाणगंगा चौराहा
रोशनपुरा नाके के पास म0प्र0 भोपाल

विषय:- विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने बावत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र होशंगाबाद के भंडर कक्ष में अनुपयोगी सामग्री के नीलाम किए जाने हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु 6 प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

सहपत्र:-विज्ञप्ति छः प्रतियां

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)



उप संचालक

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, होशंगाबाद

पृ.क्र./388/नि.क./2018/
प्रतिलिपि:-

होशंगाबाद दिनांक 15/02/2018

1. मेनेजर ई-गवर्नेंस कलेक्ट्रेट होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त विज्ञप्ति जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



उप संचालक

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, होशंगाबाद

कार्यालय उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, होशंगाबाद

E-mail : pswhos@mp.nic.in
कार्यालय दूरभाष-07574-252283

क्रमांक/387/नि.क./2018/

होशंगाबाद दिनांक 15/02/2018

//विज्ञप्ति//

जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र होशंगाबाद के भंडार शाखा में रखी गई अनुपयोगी लोहा एल्युमिनियम टिन की खुली नीलामी किए जाने हेतु दिनांक 28.02.2018 को समय 12:00 बजे तक निविदा उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण होशंगाबाद (जिला पंचायत भवन के कक्ष क्रमांक 26 में) आमंत्रित की जाती है। प्रस्तुत निविदाकार नीलामी से संबंधित शर्तें जिले की वेबसाइट www.hoshangabad.mp.gov. in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं। सामग्री का अवलोकन कार्यालयीन समय में जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र होशंगाबाद (शासकीय चिकित्सालय परिसर) में उपस्थित होकर कर सकते हैं। प्रस्तुत निविदाकार के समक्ष गठित समिति द्वारा दिनांक 28.02.2018 को समय अपराह्न 2:00 बजे से नीलामी की कार्यवाही की जावेगी। नीलाम की जाने वाली सामग्री का नाम एवं अनुमानित वजन का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	अनुपयोगी सामग्री का नाम	संख्या	कुल वजन
1	ट्रायसिकल फ्रेम लोहे की	20 नग	500 कि.ग्रा.
2	ट्रायसिकल रिग टिन की	40 नग	120 कि.ग्रा.
3	ट्रायसिकल मटगार्ड टिन की	20 नग	5 कि.ग्रा.
4	चेयर फ्रेम लोहे के एंगल की	02 नग	16 कि.ग्रा.
5	चेयर फ्रेम लोहे के पाईप की	03 नग	15 कि.ग्रा.
6	साईन बोर्ड टिन की चादर का	01 नग	30 कि.ग्रा.
7	कूलर ट्रे (टीन की)	02 नग	20 कि.ग्रा.
8	कूलर वाडी एंगल	06 नग	12 कि.ग्रा.
9	टीन चादर एवं बोर्ड एंगल सहित	04 नग	60 कि.ग्रा.
10	खिड़की लोहे की	05 नग	300 कि.ग्रा.
11	लोहे की जाली	15 कि.ग्रा.	15 कि.ग्रा.
12	फ्लेक्स पाईप	40 कि.ग्रा.	40 कि.ग्रा.
13	चौखट लोहे की	02 नग	80 कि.ग्रा.
14	बैसाखी एल्युमिनियम की	30 नग	7.5 कि.ग्रा.

नीलामी की शर्तें:-

- नीलामी बोली बोलने वाले पक्षकार को बोली शुरू होने के पूर्व उपरोक्तानुसार अमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के द्वारा 'उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण होशंगाबाद' के नाम देय हो जमा करना अनिवार्य होगा, नगद राशि स्वीकार नहीं की जावेगी।
- कार्यालयीन दिवस में जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र जिला चिकित्सालय परिसर होशंगाबाद में आकर सामग्री की सूची तथा सूची अनुसार सामग्री को देखा जा सकता है।
- तालिका में क्रमांक 01 से 14 तक दर्शाई गई सामग्री का वजन अनुमानित है जो कम व अधिक भी हो सकता है। समिति के समक्ष स्थल पर सामग्री का वजन किया जावेगा, जो अंतिम होगा।
- इच्छुक व्यक्ति अथवा फर्म को निविदा के साथ अमानत की राशि 2000=00 रुपए का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा वह नीलामी में भाग नहीं ले सकेगा।
- सामग्री की बोली रखी गई आफसेट प्राईज से शुरू होगी। तदपश्चात अधिकतम बोली पर समाप्त होगी।
- अधिकतम बोलीकर्ता द्वारा सामग्री प्राप्त न करने पर नीलामी में द्वितीय बोलीकर्ता को अवसर दिया जावेगा। किसी भी बोली को समाप्त करने का अधिकार नीलामी समिति/कलेक्टर होशंगाबाद को होगा।
- नीलामी में अधिकतम बोली बोलने वाले पक्षकार को बोली के उपरांत 25 प्रतिशत राशि उसी दिन अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा।
- नीलामी की द्वितीय बोली लगाने वाले व्यक्ति को अमानत राशि सामग्री विक्रय के उपरांत ही लौटाई जावेगी।
- नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने तथा किसी भी स्थिति में नीलामी प्रक्रिया स्थगित या निरस्त करने के लिए समिति अधिकृत रहेगी।
- नीलामी में अधिकतम बोली के संबंध में प्रकरण समिति द्वारा कलेक्टर महोदय को भेजा जावेगा। कलेक्टर महोदय की स्वीकृति उपरांत सूचना प्राप्त के 10 दिवस के अंदर शेष राशि जमा कर सामग्री अपने व्यय से उठाना होगा अन्यथा अग्रिम जमा 25 प्रतिशत राशि राजसात कर ली जावेगी।
- नीलामी से संबंधित सामग्री का वजन इलेक्ट्रॉनिक कौटा पर कराया जावेगा। जिसके व्यय का भुगतान संबंधित निविदाकार को वहन करना होगा।
- नीलामी के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर होशंगाबाद का निर्णय अंतिम होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)




उप संचालक